



2026:AHC:58230

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2546 सन् 2026

प्रज्जवल सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अक्षय मोहिले, अंकित सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित सिंह, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह, को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 327/2026, राज्य बनाम प्रज्जवल सिंह एवं अन्य, मुकदमा अपराध संख्या 173/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 352, 351(3) के अंतर्गत, थाना - रेल बाजार, जनपद - कानपुर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक पर आरोप है कि उसने ऋण स्वीकृत कराने के झूठे वादे पर प्रथम सूचनादाता से रु. 11,20,327/- प्राप्त किए। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचनादाता ने उक्त धनराशि 16.09.2025 से 09.10.2025 के मध्य अंतरित की। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचनादाता ने उक्त धनराशि एक तृतीय व्यक्ति को अंतरित की, जिसके साथ उसका व्यापारिक लेन-देन है। आवेदक ने बीएनएस की धारा 94 के अंतर्गत एक आवेदन भी दायर किया है जिसमें प्रथम सूचनादाता के खाते का बैंक विवरण प्रस्तुत करने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जब भी जाँच एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा आवश्यकता होगी, उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की दशा में आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा जाँच में सहयोग करेगा एवं जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, आवेदक पर आरोप है कि उसने 16.09.2025 एवं 09.10.2025 को ऋण स्वीकृत कराने के झूठे वादे पर प्रथम सूचनादाता से रु. 11,20,327/- प्राप्त किए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचनादाता ने तत्पश्चात उक्त धनराशि एक तृतीय व्यक्ति को अंतरित की, जिसके साथ उसका व्यापारिक लेन-देन था।

6. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सल्लिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका पर न्याय निर्णयन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और यह कि न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

7. प्रस्तुत प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - प्रज्जवल सिंह की गिरफ्तारी की दशा में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंध-पत्र, दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;
- (iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17 मार्च, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)